

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक १ / 08 / 2025

क्रमांक ई- एफ- /2025-26/सात/4:: राज्य शासन एतद द्वारा मंत्रि-परिषद के निर्णय दिनांक 03 जून 2025 के अनुक्रम में अधीक्षक भू-अभिलेख एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के संवर्गों का क्रमशः तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के संवर्ग में समायोजन किया जाता है। समायोजन उपरांत संवर्ग की स्थिती निम्नानुसार होगी। -

1. अधीक्षक भू-अभिलेख एवं तहसीलदार संवर्ग में पदों का समायोजन:-

1.1 प्रदेश में अधीक्षक भू-अभिलेख के 144 पद एवं तहसीलदार के 610 पद स्वीकृत हैं। दोनों पद कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा अंतर्गत समान वेतनमान के पद हैं। समायोजन उपरांत तहसीलदार के कुल पद 754 हो जावेंगे।

1.2 अधीक्षक भू-अभिलेख (नवीन पदनाम तहसीलदार) से उप जिलाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति हेतु पूर्व में वरिष्ठता के आधार पर अपनाई गई प्रक्रिया का पालन तब तक किया जाता रहेगा जब कि यह संपूर्ण संवर्ग पदोन्नति /सेवानिवृत्त/अन्य कारण से रिक्त नहीं हो जाता।

1.3 अधीक्षक भू-अभिलेख (तहसीलदार) संवर्ग के पदों पर केवल नायब तहसीलदारों के रूप में पदस्थ सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख की ही पदोन्नति की जावेगी।

1.4 यह संवर्ग तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक कि यह संपूर्ण संवर्ग यथा अधीक्षक भू-अभिलेख एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख पदोन्नत / सेवानिवृत्त होकर रिक्त नहीं हो जाता।

1.5 समायोजन उपरांत अधीक्षक भू-अभिलेख संवर्ग के अस्तित्व में रहने तक अधीक्षक भू-अभिलेख एवं तहसीलदार संवर्ग की पृथक पृथक पदक्रम सूची पूर्व की भांति जारी की जावेगी।

2. सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख एवं नायब तहसीलदार संवर्ग में पदों का समायोजन:-

2.1 प्रदेश में सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के 282 पद एवं नायब तहसीलदार के 1242 पद स्वीकृत हैं। दोनों पद कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा अंतर्गत समान वेतनमान के पद हैं। सहायक

अधीक्षक भू-अभिलेख संवर्ग का नायब तहसीलदार संवर्ग में समायोजन किया जाता है। समायोजन होने से नायब तहसीलदार संवर्ग के अब कुल 1524 पद स्वीकृत होंगे।

2.2 अधीक्षक भू-अभिलेख (तहसीलदार) संवर्ग के पदों पर केवल नायब तहसीलदारों के रूप में पदस्थ सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख की ही पदोन्नति की जावेगी जब तक कि यह संपूर्ण संवर्ग पदोन्नत / सेवानिवृत्त होकर रिक्त नहीं हो जाता।

2.3 सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख संवर्ग के सीधी भर्ती के स्वीकृत पदों पर अब कोई नवीन भर्ती आयोजित नहीं होगी। सीधी भर्ती के रिक्त पद जैसे जैसे रिक्त होंगे इन पदों को नायब तहसीलदार के स्वीकृत पदों में जोड़ा जाकर नवीन भर्ती नायब तहसीलदार हेतु स्वीकृत भर्ती नियम अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

2.4 सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पदोन्नति हेतु स्वीकृत पदों पर राजस्व निरीक्षक से पदोन्नति की कार्यवाही पूर्व की भाँति नायब तहसीलदार एवं (सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख) दोनों पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारित प्रतिशत अनुसार नायब तहसीलदार के रूप में तब तक की जाती रहेगी जब तक वर्तमान में पदस्थ सभी राजस्व निरीक्षक की पदोन्नति नहीं हो जाती। भविष्य में नवीन भर्ती राजस्व निरीक्षक पदोन्नति नायब तहसीलदार के पद पर नायब तहसीलदार हेतु प्रचलित कनिष्ठ प्रशासनिक भर्ती नियम 2011 अनुसार की जावेगी।

2.5 नवीन राजस्व निरीक्षकों की पदक्रम सूची से जब भी पदोन्नति की कार्यवाही की जावेगी, यह नायब तहसीलदार के रूप में नायब तहसीलदार हेतु स्वीकृत भर्ती नियम के अनुक्रम में की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार


(राजेश कुमार कौल)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग



प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/माननीय राज्य मंत्रीगण, मध्यप्रदेश।
3. अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. रजिस्टार, उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
8. शासन के समस्त विभाग
9. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
10. आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश ग्वालियर
11. प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय भोपाल।
12. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
13. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
14. आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश भोपाल।
15. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग